

महत्वपूर्ण/ई-ऑफिस

संख्या-सी0एम0-06/सात-न्याय-1-2026-101/2020-943467

प्रेषक,

रमाकान्त शुक्ल ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- मा0 महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- महाप्रशासक एवं राज्य न्यासी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा0 उच्चतम न्यायालय, तेज बिल्डिंग, 3-बी बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निबन्धक, राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषय: ई-ऑफिस पर कार्य करने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

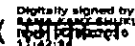
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के कम्प्यूटर संख्या-2016292, दिनांक 13 फरवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय/मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में कार्मिकों द्वारा कार्यालयी कार्यों के निष्पादन हेतु अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस का प्रयोग किया जाय। ई-ऑफिस पर कार्य करने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन आहरित किया जाय। ई-ऑफिस पर पूरे माह कार्य न करने वाले कार्मिक का वेतन आहरित होने की दशा में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी कार्यालय में ई-ऑफिस अद्यतन कार्यान्वित नहीं हुआ है, तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2026 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

( शुक्ल)

उप सचिव।



Email forwarded
to NYAY-1

कार्यालय

संख्या

CM-06

/सात-न्याय-1-2026

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या Comp.No. 20/6292

File No. 34-13093/4/2026

दिनांक 13/02/2026

ई-ऑफिस

कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या आर-19 (ई-ऑफिस)/34-मांवि०प्र०/2025 दिनांक 25 अप्रैल, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें अपेक्षा की गई थी कि प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय/मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में प्रत्येक दशा में 30 अप्रैल, 2025 तक पत्रावलियों का व्यवहरण एवं पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का व्यवहरण व पत्राचार स्वीकार न किया जाए।

2- उक्त के क्रम में नोडल एजेन्सी UPLC द्वारा संलग्न रिपोर्ट दिनांक 21 जनवरी, 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कतिपय कार्मिकों/यूजर्स द्वारा पूरे 01 माह की अवधि (21 दिसम्बर, 2025 से 20 जनवरी, 2026 तक) में लॉगिन ही नहीं किया गया है (सूची संलग्न/ई-मेल से प्रेषित)।

3- ज्ञातव्य है कि नोडल संस्था UPLC द्वारा माह फरवरी, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक लगातार प्रत्येक कार्यदिवस में Zoom के माध्यम से ई-ऑफिस ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र संचालित किए गए हैं। बार-बार निर्देशित किए जाने तथा उक्त प्रकार से प्रशिक्षण/हैण्ड-होल्डिंग के उपरान्त भी कतिपय यूजर्स द्वारा ई-ऑफिस पर कार्य न किया जाना घोर अनुशासनहीनता है, जो स्वीकार्य नहीं है।

4- उपर्युक्त स्थिति पर मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गई है कि प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय/मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में कार्मिकों द्वारा कार्यालयी कार्यों के निष्पादन हेतु अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस का प्रयोग किया जाए। ई-ऑफिस पर कार्य करने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन आहरित किया जाए।

ई-ऑफिस पर पूरे माह कार्य नहीं करने वाले कार्मिक का वेतन आहरित होने की दशा में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण-वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी कार्यालय में ई-ऑफिस अद्यतन कार्यान्वित नहीं हुआ है, तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक: उक्तवत।

Digitally signed by

SANJAY PRASAD

Date: 09-02-2026

(संजय प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री।

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव उ०प्र० शासन।

3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

50-1

मनमोहन सिंह
विशेष सचिव

न्याय एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।

17/02/2026

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ सचिव / विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यू.पी.एल.सी. उत्तर प्रदेश।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ निदेशक (आई०टी०) (श्री शैलेश श्रीवास्तव), NIC उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

Digitally signed by
ARVIND MOHAN

Date: 13-02-2023 (अरविन्द मोहन)

12:38:07

संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री।

eOffice not login users vs total users

Report Period 21-12-2025 to 20-01-2026

S.No.	Department	Grand Total	YES	NO	No %
1	अतिरिक्त उर्जा स्रोत	110	69	41	37.27%
2	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	476	364	112	23.53%
3	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	778	223	555	71.34%
4	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स	153	144	9	5.88%
5	आबकारी	712	363	349	49.02%
6	आयुष	651	338	313	48.08%
7	आवास एवं शहरी नियोजन	2,243	1,308	935	41.69%
8	उच्च शिक्षा	585	326	259	44.27%
9	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	641	292	349	54.45%
10	उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप	80	44	36	45.00%
11	ऊर्जा	149	55	94	63.09%
12	कारागार	199	114	85	42.71%
13	कार्मिक	428	84	344	80.37%
14	कृषि	3,847	1,895	1,952	50.74%
15	कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार	588	324	264	44.90%
16	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	17	5	12	70.59%
17	खादी एवं ग्रामोद्योग	271	202	69	25.46%
18	खाद्य एवं रसद	1,878	914	964	51.33%
19	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	754	370	384	50.93%
20	खेलकूद	164	67	97	59.15%
21	गृह	326	135	191	58.59%
22	ग्रामीण अभियंत्रण	1,417	746	671	47.35%
23	ग्राम्य विकास	5,924	3,275	2,649	44.72%
24	चिकित्सा शिक्षा	1,803	343	1,460	80.98%
25	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,815	989	1,826	64.87%
26	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	814	428	386	47.42%
27	दिव्यांगजन सशक्तीकरण	256	198	58	22.66%
28	दुग्ध विकास	235	148	87	37.02%
29	धर्मार्थ कार्य	17	11	6	35.29%
30	नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	3,370	964	2,406	71.39%
31	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	1,336	562	774	57.93%
32	नागरिक उड्डयन	51	9	42	82.35%
33	नागरिक सुरक्षा	68	51	17	25.00%
34	नियोजन	1,390	1,115	275	19.78%
35	निर्वाचन	444	249	195	43.92%
36	न्याय	78	2	76	97.44%

Report Period 21-12-2025 to 20-01-2026

S.No.	Department	Grand Total	YES	NO	No %
37	पंचायती राज	1,409	558	851	60.40%
38	परिवहन	631	327	304	48.18%
39	पर्यटन	272	220	52	19.12%
40	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1,762	772	990	56.19%
41	पशुधन	1,028	490	538	52.33%
42	पिछड़ा वर्ग कल्याण	330	280	50	15.15%
43	प्रशासनिक सुधार	29	13	16	55.17%
44	प्राविधिक शिक्षा	1,418	721	697	49.15%
45	बेसिक शिक्षा	1,907	780	1,127	59.10%
46	भाषा	45	8	37	82.22%
47	भूतत्व एवं खनिकर्म	216	156	60	27.78%
48	मत्स्य	428	315	113	26.40%
49	महिला एवं बाल विकास	911	470	441	48.41%
50	माध्यमिक शिक्षा	1,649	544	1,105	67.01%
51	युवा कल्याण	215	131	84	39.07%
52	राजनीतिक पेंशन	5	1	4	80.00%
53	राजस्व एवं आपदा	7,850	3,758	4,092	52.13%
54	राज्य कर	828	499	329	39.73%
55	राज्य संपत्ति	22	6	16	72.73%
56	रेशम विकास	89	66	23	25.84%
57	लोक निर्माण	10,152	6,850	3,302	32.53%
58	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	98	94	4	4.08%
59	वित्त	1,677	951	726	43.29%
60	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	753	296	457	60.69%
61	श्रम एवं सेवायोजन	2,733	1,663	1,070	39.15%
62	संस्कृति	91	75	16	17.58%
63	सचिवालय प्रशासन	17	15	2	11.76%
64	सतर्कता	18	13	5	27.78%
65	समाज कल्याण	1,007	519	488	48.46%
66	सहकारिता	1,786	1,150	636	35.61%
67	सार्वजनिक उद्यम	41	41	0	0.00%
68	सिंचाई एवं जल संसाधन	7,933	2,865	5,068	63.89%
69	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	998	597	401	40.18%
70	सूचना	198	70	128	64.65%
71	सैनिक कल्याण	287	186	101	35.19%
72	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	402	148	254	63.18%
73	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उद्योग	208	147	61	29.33%
74	होमगार्ड	410	253	157	38.29%
Grand Total		84,921	42,774	42,147	49.63%